न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)

पीठासीन अधिकारीः— प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)
राजस्व विविध प्रार्थना—पत्र संख्याः— 10/2025
जीसीएमएस नंबरः— 2025/24

प्रार्थीः—

1. भानाराम पुत्र श्री सखाराम जाति जाट निवासी जाटों की ढाणी गांव बनाड़ तह. व जिला जोधपुर।

अप्रार्थीः— **बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार जोधपुर।

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम

—::आदेश::—

उपस्थितिः— 1. श्री खुशबू सोलंकी एवं बंशीसिंह सोलंकी अधिवक्तागण प्रार्थी ओर से। दिनांकः—03/03/2025
2. अप्रार्थी तहसीलदार जोधपुर।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खेत खसरा सं. 266/4 रकबा 0.9308 हैक्ट. एवं खसरा सं. 266/5 रकबा 0.7649 हैक्ट. जुमले रेका 1.6957 हैक्ट. किस्म बारानी प्रथम सरहद मौजा ग्राम जाजीवाल गेहलोता, पटवार हल्का जाजीवाल गेहलोता, भू.अ. निरीक्षक क्षेत्र दईकड़ा तह. व जिला जोधपुर की चालू जमाबंदी संवत् 2081 से 2084 की खैवट खतौनी सं नया 251 व पुराना 0 में बहैसियत खातेदार काश्तकार के दर्ज है। पैरा एक में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी ने पूर्व में खसरा सं. 02 रकबा 15 बीघा 05 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम सरहद मौजा ग्राम चक विमरलनाई जाजीवाल तह. व जिला जोधपुर को जरिए रजिस्टर्ड बैचननामा दुर्गाराम पुत्र श्री रामूराम ाति जाट निवासी जाजीवाल भाटिया तह. व जिला जोधपुर से दिनांक 07.03.2007 को खरीद की, जो खरीद का म्यूटेशन सं. 535 प्रार्थी के नाम से भरा जाकर राजस्व रेकर्ड में नाम अमल दरामद की। प्रार्थी खरीद का दस्तावेज बैचाननामा की प्रति एवं पूर्व की नकल जमाबंदी, राजस्व तरमीम सुदा की प्रति पेश है। खरीद बाद प्रार्थी के कब्जा काश्त खातेदारी कृषि भूमि के बीच में सड़क निकालने पर दिनांक 26.05.2022 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के नाम म्यूटेशन भरा गया। सड़क खसरा सं. 2 के बीच में से निकलने के कारण खसरा सं. 02 दो भागों में विभक्त हो गया। एक भाग रकबा 04 बीघा 14 10 बिस्वांसी जो इस खसरा के पश्चिमी दिशा में है एवं इस खसरा का दूसरा टुकड़ा भाग रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा जो सड़क के पूर्व दिशा में है, इसी अनुसार नक्शा लट्ठा में भी तरमीम दर्ज है। हाल ही में डिजीटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) में राजस्व रेकर्ड

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

को ऑनलाईन किया गया। जिसमें रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा 10 बिस्वांसी भाग को नया खसरा सं. 266/5 (पुराना खसरा सं. 2/1) दे दिया गया एवं रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा वाले भाग को नया खसरा सं. 266/4 (पुराना खसरा सं. 2) दे दिया गया। जबकि मौका राजस्व रिकॉर्ड नक्शा अनुसार ऑनलाईन वाले नक्शा में खसरा सं. 266/4 के स्थान खसरा सं. 266/5 (खसरा सं. 2/1 रकबा 4.14.10 बीघा) व खसरा सं. 266/5 के स्थान पर खसरा सं. 266/4 (खसरा सं. 2 रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा) होना चाहिए। पूर्व में ग्राम चक विमरलाई जाजीवाल भाटिया, पटवार हल्का लोरड़ी पण्डितजी के पास था, लेकिन वर्तमान में तहसील ऑनलाईन होने से यह खसरा ग्राम जाजीवाल गहलोता पटवार हल्का जाजीवाल गहलोता के पास है, क्रमशः पुराने खसरा सं. 02, खसरा सं. 2/1 खसरा सं. 2/3 वर्तमान में क्रमशः नया खसरा सं. 266/4, खसरा सं. 266/5 एवं खसरा सं. 266/6 दर्ज है। (DILRMP) ऑनलाईन तरमीम हुई है, जिसमें खसरा सं. 266/4 व 264/5 एक दूसरे स्थान पर गलत अथार्त उल्टे दे दिए गए। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रेकड राजस्व नक्शे में हुई त्रुटि को सुधार करने का आदेश फरमावे एवं प्रार्थी के नाम ऑनलाईन तरमीम खसरा सं. 266/4 रकबा 0.9308 हैक्ट. के स्थान पर खसरा सं. 266/5 रकबा 0.7649 हैक्ट है एवं खसरा सं. 266/5 रकबा 0.7649 हैक्ट. के स्थान पर खसरा सं. 266/4 रकबा 0.9308 हैक्ट. है (एक दूसरे खसरा मय रकबा का स्थान बदलने हेतु) जो वाके ग्राम जाजीवाल गहलोता राजस्व रेकर्ड, राजस्व नक्शा में शुद्धिकरण का आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में तहसीलदार जोधपुर से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार जोधपुर ने रिपोर्ट दिनांक 30.06.2025 में कथन किया कि प्रार्थी भानाराम पुत्र सुखाराम जाति जाट सा० बनाड़ द्वारा उक्त खसरो के पूर्व मे खसरा न० 02 रकबा 15–05 बीघा द्वारा खरीद सुदा जो नामान्तरकरण 535 दिनांक 20.03.2007 जमाबन्दी जाजीवाल भाटीयान, चक विरमलाई जमाबन्दी मे दर्ज है जो कि मिसल सम्वत् 1999 मे जागीर से ग्राम जाजीवाल भाटीयान् मे दर्ज था। DILRMP कार्य के दौरान जांच मे जाजीवाल गहलोतान् के नक्शे मे खसरा न० 266 नाम से नक्शा जमाबन्दी में नहीं था। तथा खसरा न0 266 ही चक विरमलाई (ग्राम जाजीवाल भाटीयान, प० म० लोरडी पण्डितजी) मे था। अतः श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के आदेशानुसार चक विरमलाई के सम्पूर्ण खसरा 02 के बट्टे भाग ग्राम जाजीवाल गेहलोतान् मे स्थानान्तरित होकर खसरा न0 266 एवं 266 के बट्टे संख्या मे रूपान्तरित हो गये। DILRMP कार्य से पूर्व चक विरमलाई (वर्तमान खसरा न0 266/4, 266/5) में से होकर रिंग रोड हेतु भूमि आवप्ति की गयी और आदेशानुसार प०म० लोरडी पण्डितजी पटवारी द्वारा प्रार्थी भानाराम के इस खसरा मे भी भूमि अवाप्ति नामान्तरकरण संख्या 222 दिनांक 20.05.2022 दर्ज कर तत्कालीन खसरा 02 को तीन भागों मे विभक्त किया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है–

क्र.स.	खसरा सं.	रकबा	किस्म
01	2/3	4–15–10 बीघा	गै.मु. सड़क
02	2/1	4–14–10 बीघा	बारानी I

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

03	2	5–15 बीघा	बारानी I
कुल	03	15–05–00 बीघा	

बिन्दु संख्या 03 मे दर्शाये खसरा न० 02 एवं 02 के बट्टे संख्या एवं अन्य शेष बट्टे संख्या संलग्न ट्रेस नक्शा अनुसार ग्राम जाजीवाल गहलोतान् मे स्थानान्तरित होकर खसरा न0 266 एवं 266 के बट्टे संख्या मे दर्ज हुए। दिनांक– 07.03.2025 प्रार्थी भानाराम एव उनके परिवार सदस्यों के साथ खसरा संख्या 266/4, 266/5, 266/6 मौका स्थिति वर्तमान स्थिति एवं वर्तमान जमाबन्दी एवं नक्शा शीट अनुसार मौके पर पैमाईश करने से जानकारी मे आया की वर्तमान जमाबन्दी अनुसार निम्नानुसार है–

क्र.स.	खसरा सं.	रकबा	किस्म
1	266/4	0.9308 हैक्टेयर	बारानी–I
2	266/5	0.7649 हैक्टेयर	बारानी–I

जबकि मौका स्थिति अनुसार उक्त खसरों का माप रकबा निम्न है–

क्र.स.	खसरा सं.	रकबा	किस्म
1	266/4	0.7649 हैक्ट.	बारानी–I
2	266/5	0.9308 हैक्ट.	बारानी–I

वर्तमान मे दोनों खसरों के खातेदार भानाराम पुत्र सुखाराम जाति जाट है। उपरोक्तानुसार नजरी नक्शा पटवारी हल्का की रिपोर्ट मे दर्ज है।

ग्राम जाजीवाल गहलोता की जमाबन्दी संवत् 2081–84 के खाता संख्या 251 के खसरा न0 266/4 रकबा 0.9308 हैक्टेयर व खसरा न0 266/5 रकबा 0.7649 हैक्टेयर किस्म बारानी। भानाराम पुत्र सुखाराम जाति जाट सा० बनाड़ खातेदार के नाम ऑनलाईन जमाबन्दी मे दर्ज है। खसरा न० 2 रकबा 15–05 बीघा नामान्तरकरण संख्या 635 दिनांक 20.03.2007 किस्म बेचान द्वारा भानाराम पुत्र सुखाराम जाट सा० बनाड़ खातेदार के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हुआ। उक्त खसरे पूर्व मे जाजीवाल खटिया के चक विरमलाई मे दर्ज थे खसरा न० 2 (266/4) रकबा 5–15 बीघा एवं खसरा न० 2/1 (266/5) रकबा 4–14–10 बीघा किस्म बारानी। भानाराम पुत्र सुखाराम जाति जाट सा० बनाड़ खातेदार के नाम दर्ज है। उक्त खसरे के बीच में से रिंग रोड निकलने से नामान्तरकरण 1047 दिनांक 26.05.2022 द्वारा खसरा न0 2/3 (266/6) रकबा 04–15–10 किस्म गै.मु. सड़क "सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार" के नाम दर्ज हुआ शेष भूमि खातेदार के नाम बदस्तुर रही। उक्त खसरे में से रिंग रोड के पश्चात् रोड़ के पूर्व दिशा वाले भू–भाग को तत्कालीन पटवारी द्वारा खसरा न0 2 रकबा 05–15 बीघा व पूर्व दिशा की तरफ बचे शेष भू–भाग को खसरा न0 2/1 रकबा 4–14–10 बीघा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज किया गया। जिसका नजरी नक्शा नामान्तरकरण

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

संख्या 1047 दिनांक 26.05.2022 की पुश्त पर भी दर्ज है। नामान्तरकरण संख्या 1047 की पुश्त अनुसार तत्कालीन पटवारी व भू.अ. निरीक्षक जाजीवाल द्वारा नक्शे लट्ठे मे भी तरमीम दर्ज की गई। DIRLMP योजनान्तर्गत तत्कालीन पटवारी द्वारा सहवन से रिंग रोड के पूर्व दिशा वाले भू–भाग 5–15 बीघा को 2/1 (266/5) एवं पश्चिम दिशा वाले भू–भाग 4–14–10 को खसरा न0 2 (266/4) दर्ज कर दिया गया। चूंकि मौके पर चक विरमलाई ग्राम जाजीवाल गहलोता का हिस्सा है, इसलिए DIRLMP योजनान्तर्गत उक्त चक को ग्राम जाजीवाल गहलोता मे स्थानान्तरित कर दिया गया। रिंग रोड के पूर्व दिशा वाले भू–भाग को 266/5 एवं पश्चिम दिशा वाले भाग को 266/4 दर्ज किया गया। अतः भू–नक्शा मे नामान्तरकरण संख्या 1047 दिनांक 06.05.2022 की पुश्त, नक्शा लट्ठा, मौका अनुसार खसरा न० 266/6 (रिंग रोड) की पूर्व दिशा में 266/4 रकबा 0.9308 हैक्टेयर एवं पश्चिम मे खसरा न0 266/5 रकबा 0.7649 हैक्टेयर दर्ज किया जाना उचित है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, तहसीलदार जोधपुर की रिपोर्ट व पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया गया। अतः तहसीलदार जोधपुर की अनुशंषा के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम जाजीवाल गहलोता खसरा सं. 266/4 रकबा 0.9308 हैक्ट. के स्थान पर खसरा सं. 266/5 रकबा 0.7649 हैक्ट. एवं खसरा सं. 266/5 रकबा 0.7649 हैक्ट. के स्थान पर खसरा सं. 266/4 रकबा 0.9308 हैक्ट. (एक दूसरे खसरा मय रकबा का स्थान बदलने) राजस्व नक्शे में शुद्धिकरण हेतु तहसीलदार जोधपुर को आदेश दिए जाते हैं।

प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

आदेश आज दिनांक 21/09/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर